संख्या-3/2021/आर.जी.-515 /2021/10-2099/259/2020

प्रेषक ,

राजेन्द्र कुमार तिवारी ,
मुख्य सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग-31 **लखनऊ : दिनांकः 31 जुलाई , 2021**

विषयः कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के दिशानिर्देश।

महोदय ,

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोविड-19 एक महामारी घोषित है जिसकी रोकथाम किया जाना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या F.No. 12(13)-B W&M)/2020 दिनांक 30 जून 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही में कैश प्रबन्धन के दृष्टिकोण से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के कुल व्यय को 20 प्रतिशत के अन्दर सीमित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

2- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड 19 महामारी की रोकथाम सम्बंधी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों को सम्पादित करने के लिये संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं :-

1. विभागों द्वारा राज्य में संचालित केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में केंद्रांश की धनराशि सम्बंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से सम्पर्क करके समय से प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

2. विभागों द्वारा राज्य की योजनाओं की समीक्षा कर ली जाय तथा ऐसी चालू एवं नयी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही पूर्ण की जा सकती हैं ।

3. प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट के विभिन्न मदों में यथा - कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय तथा मुद्रण एवं प्रकाशन में विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त मदों में बजट में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में कमी की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. विभागों द्वारा नये वाहनों का क्रय न किया जाय। पूर्व से विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबंधित किया जाय।

5. सरकारी वाहनों के अनुरक्षण एवं ईधन पर होने वाले व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों एवं ईंधन का दुरूपयोग न हो। इस मद में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय में कमी लायी जाय।

6. शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाये तथा यथा संभव वीडियो कॉन्फ्रैन्सिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाय। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिये अधिकृत हैं, वह इकनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्सक्यूटिव/बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।

7. विभागों द्वारा प्रावधानित बजट के सापेक्ष आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जाय।

8. वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय मितव्ययिता हेतु सभी आवश्यक एवं प्रभावी कदम विभागों द्वारा उठाया जाय।

उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त स्थानीय निकायों/स्वायत्शासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होंगे। कृपया तद्नुसार अपने अधीनस्थ संस्थाओं को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 3/2021/आर.जी.-515(1) /10-2099/259/2020 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. महालेखाकार-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी।
7. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।